संख्या–1724/77–3–13–2(यूपीडा)/12

प्रेषक,

डा0सूर्य प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषयः–आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के विकासकर्ता चयन सम्बन्धी आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट का अनुमोदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या–491/यूपीडा/2013/188–III, दिनांक 05.11.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा विचारोपरान्त आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना के विकासकर्ता चयन सम्बन्धी आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट का अनुमोदन निम्नवत प्रदान किया जाता है :–

(2) परियोजना की रूपरेखा :– परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

(क) अनुमानित लम्बाई– 324.40 किमी. (301.40 किमी. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे + 23 किमी.लिंक रोड)
(ख) लिंक रोड – 1. फिरोजाबाद लिंक रोड (15 किमी.)
2. कन्नौज लिंक रोड (08 किमी.)
(ग) अनुमानित लागत – रुपये 9654 करोड़ (भूमि की लागत के अतिरिक्त)
(घ) एक्सप्रेसवे की चौड़ाई (आर.ओ.डब्ल्यू.) – 110 मीटर
(च) कैरिजवे – पूर्णतः प्रवेश नियंत्रित 06 लेन डिवाइडेड कैरिजवे (एक्सपेण्डेबल टू 08 लेन)।
(छ) सर्विस रोड का प्राविधान।
(ज) आच्छादित जनपद – आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ।
(झ) मुख्य यातायात मार्गों हेतु इन्टरचेन्जेज ।
(ट) टोल्ड एक्सप्रेसवे।
(ठ) पदयात्री व जानवरों हेतु अण्डरपासेस ।
(ड) ग्रीन बेल्ट का प्राविधान।

(3) 'रिक्वेस्ट फार प्रपोजल' (आर0एफ0पी0) :– अनुमोदित किये गये 'रिक्वेस्ट फार प्रपोजल' (आर0एफ0पी0) डाक्यूमेन्ट में निम्नलिखित डाक्यूमेन्ट्स सम्मिलित हैं:–

वाल्यूम 1 : इंस्ट्रक्शन्स टू बिडर्स
वाल्यूम 2 : ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेन्ट
वाल्यूम 3 : शिड्यूल्स
वाल्यूम 4 : फिजिबिलिटी रिपोर्ट
: 'सचिव समिति' की बैठक दिनांक 01.11.2013 के निर्देशानुसार दिनांक 01.11.2013 को जारी किया गया कोरिजेण्डेम

(4) परियोजना का क्रियान्वयन डी.बी.एफ.ओ.टी. मॉडल पर किया जायेगा अर्थात् विकासकर्ता द्वारा परियोजना की डिजाईन–निर्माण–वित्त पोषण–संचालन–ट्रान्सफर किया जायेगा।

(5) परियोजना हेतु आवश्यक लगभग 3 हजार हेक्टेयर भूमि यूपीडा द्वारा अधिग्रहित कर विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) विकासकर्ता द्वारा एक्सप्रेस–वे के उपयोग हेतु टोल चार्ज लिया जायेगा। टोल का निर्धारण उ0प्र0 एक्सप्रेसवे (लेवी ऑफ टोल्स एण्ड फिक्सिंग ऑफ फीस एण्ड रियलाइजेशन देयर ऑफ) रूल्स 2010 के अनुसार एवं समय–समय पर इस हेतु किये जाने वाले संशोधन के अनुसार होगा।

(7) कन्सेशन अवधि :– परियोजना की कन्सेशन अवधि 30 वर्ष होगी। कन्सेशन अवधि की समाप्ति पर समस्त परियोजना मय भूमि एवं निर्मित परिसम्पत्तियां सहित कन्सेशनायर से यूपीडा को स्वतः वापस प्राप्त हो जायेगी।

(8) परियोजना का वित्त पोषण :– परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण एवं व्यय वहन लगभग रु0 5,000 करोड़ प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (लगभग रु0 1,930 करोड़) की सहायता केन्द्र सरकार से 'वायबिलिटी गैप फण्डिंग' (वी.जी.एफ.) के अन्तर्गत प्राप्त की जायेगी। उ0प्र0 शासन द्वारा भी परियोजना लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत वी.जी.एफ. ग्रान्ट (लगभग रु0 1,930 करोड़) के रूप में दिया जायेगा। परियोजना विकास की शेष धनराशि परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

(9) निजी विकासकर्ता का चयन :– चयन प्रतिस्पर्द्धात्मक बिडिंग पर आधारित होगा। इसके लिए सभी प्रोजेक्ट पैरामीटर्स यथा, कन्सेशन पीरियड, टोल रेट तथा तकनीकी आउटपुट पैरामीटर आदि पूर्व निर्धारित हैं। प्री–क्वालिफाइड बिडर्स से द्वितीय चरण की बिडिंग में बिड्स न्यूनतम वित्तीय ग्रान्ट के आधार पर आमंत्रित की गयी हैं। बिडर्स द्वारा वित्तीय ग्रान्ट के स्थान पर प्राधिकरण को प्रीमियम के भुगतान करने का भी विकल्प रखा गया है। परियोजना उस बिडर को अवार्ड की जायेगी जोकि अधिकतम प्रीमियम कोट करेगा तथा किसी भी बिडर द्वारा प्रीमियम न कोट किये जाने की दशा में, उस बिडर को परियोजना अवार्ड की जायेगी जो न्यूनतम ग्रान्ट की मांग करेगा।

(10) परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण :– परियोजना हेतु आवश्यक लगभग 3 हजार हेक्टेयर भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित कर विकासकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि अधिग्रहण हेतु समस्त व्यय का वहन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। पूर्व में भूमि अधिग्रहण के गद में रु0 1,850 करोड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु संशोधित भूमि अधिग्रहण एक्ट तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत भूमि अधिग्रहण की लागत लगभग रुपये 5,000 करोड़ अनुगानित है।

विगत दिनों भारत सरकार के "द राइट टू फेयर कम्पन्सेशन एण्ड ट्रान्सपरेन्सी इन लैण्ड एक्यूजीशन, रिहैबिलिटेशन एण्ड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013" को राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस अधिनियम के लागू हो जाने की दशा में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु कार्यवाही इस एक्ट के अधीन किया जाना आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में आने वाला समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा, जिसके लिये शासन से प्राधिकरण को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

(11) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति (आर एण्ड आर पॉलिसी) :– परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण आदि के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों की अचल सम्पत्ति एवं जीविका/आय के अवसरों की हानि संभावित है और साथ ही कुछ स्थानों पर सार्वजनिक परिसम्पत्ति आदि प्रभावित हो सकती है। विस्थापित एवं प्रभावित व्यक्तियों के उपयुक्त पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन हेतु शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्राविधानों के अनुसार समस्त सहायताएं एवं अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं दी जायेंगी। इस सम्बन्ध में आने वाला समस्त व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा, जिसके लिये शासन से प्राधिकरण को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता होगी।

(12) छूट एवं रियायतें :– केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य छूट, रियायतों एवं सुविधा का लाभ इस परियोजना को अनुमन्य होगा।

(13) विकासकर्ता चयन सम्बन्धित समय सारिणी :–

– आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंट जारी किया जाना : 03.09.2013

– प्री–बिड बैठक	:	19.09.2013
– बिड प्राप्त करने की तिथि	:	12.11.2013
– बिड मूल्यांकन, बी0ई0सी0 द्वारा विकासकर्ता के चयन हेतु संस्तुति, मुख्य सचिव समिति की संस्तुति एवं माननीय मंत्रि परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त चयनित विकासकर्ता को लेटर आफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) जारी करना	:	बिड प्राप्त करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर

(14) आवश्यकतानुसार उपरोक्त प्रस्तर–13 में संशोधन करने हेतु 'निविदा मूल्यांकन समिति' को अधिकृत किया जाता है।

(15) आर.एफ.पी. के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिये गये परामर्श का अनुपालन यूपीडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(16) प्रश्नगत परियोजना हेतु यूपीडा द्वारा आवश्यक पूर्वानुमतियां प्राप्त कर उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

(17) एक्सप्रेसवे के मिडियन में गाइडलाइन्स एवं मैनुअल के अनुरूप फूल एवं पौधे लगाये जायेंगे।

(18) कम्पन्सेटरी वृक्षारोपण आर0ओ0डब्ल्यू0 की सीमा पर आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(19) प्रश्नगत परियोजना के भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में भू–अर्जन एवं पुनर्वास के संबंध में तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम एवं शासनादेशों के तहत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(20) अवस्थापना विकास विभाग द्वारा निर्गत पीपीपी गाइड लाइन्स एवं समय–समय पर इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन यूपीडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन पूर्णतः यूपीडा द्वारा किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।